Since inspections in the state are carried out only based on complaints (as per attached GO dated 19/10/2012), hence the question of computerised risk assessment does not apply to Uttar Pradesh.

प्रेषक

. शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव 당0 시0 회(전시)

सेवा में, श्रम आयुक्त, च० प्र०,कानपुर।

श्रम अनुभाग-3

दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के कियान्वयन हेतु औद्योगिक इकाईयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रकिया का निर्धारण।

महोदय.

amo

257 10/2012

औद्योगिक विभाग अनुभाग-6 के शासनादेश सं० सी०एस० 1439, अधा पालको (अधिनांक 26 अक्टूबर, 1998 में यह प्राविधानित है कि प्रदेश की किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी/निरीक्षक सम्बन्धित जिला अधिकारी अथवा मण्डलायुक्त से लिखित अनुमोदन प्रापत करेंगे। जनपद स्तरीय अधिकारी/निरीक्षक यह अनुमोदन जिलाधिकारी सें प्राप्त करेंगे, जबकि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी/निरीक्षक मण्डलायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर 3.1.1-3 में यह व्यवस्था की गयी है कि "शिकायत के आधार पर जॉच जिलाधिकारी की

पूर्व अनुमति के पश्चात ही की जायेगी "

उक्त निवेश नीति के कियान्वयन हेतु राग्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय िया गया है कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाईयों की शिकायतों के आधार पर जॉच जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आंदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। भवदीय.

> शैलेश कृष्ण ) प्रमुख सचिव

## रांख्या 1310 (17/36-3-2012, तदिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित-

- औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,उ०प्र० शासन।
- निदेशक, उद्योग बन्धू, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- आयुक्त एवं निवेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, उद्योग निवेशालय,
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (हारा श्रमायुक्त)।
- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)।
- निदेशक कारखाना / निदेशक ब्यायलर्स एवं समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त (द्वारा श्रमायुक्त)।
- समस्त शीर्ष औद्यागिक संगठन, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)। 7-
- समस्त शीर्ष श्रमिक संगठन, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त) ।
- गार्ड फाईल 🎼

(मुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा) अनु सचिव।

कादांलय, अम आयुवल, उन्नर प्रदेश, जीवटीव रोड, कार्नपुर।

us even- 5326-5425 / units-12

THIRE : 25-10- 2012

प्रतिनिधि - निम्नाहास्थित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्वग्रही हेतु प्रेथित। १. समस्य केंद्रीय अपर /एए /सहायय अग प्रापुणतों की इस आश्रय से प्रेषिण है कि वे अपने वे जन्तगर समस्त प्रयुख औद्योगिक /अन संगठनों को भी इसकी प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराया ज्ञाना सुनिश्चित करें।

2. समस्त गण्डामानुक्त एत्तर प्रदेश । [द्वारा स्थिति अपर/३६/८५१ मर इसाप्रतः] १. सारत मिला वाधिवारी, सत्तर प्रदेश ! [द्वारा क्षेत्री अपर/३६/६६१ मर इसाप्रतः] ६. मिथेरव असरवार /व्यारार्थ ए का जीत स्थानाम स्थानुर ६. अपर र वाधुक्त, एत्तर इसेस १ १६ जाई उपतः सामुद्र का स्थानीय वर्ष बाह्य ए वाप्यांक वर्षके अने उत्तः

6 - धमार अपर / उट क्रां उरा १३३ मुख्या त्र मानपुर |

( कीव्येवक्यम निर्देशकार्थ अपर श्रम अग्रयुक्त, एस्तर प्रदेश क्त धम आयुक्त, उत्तव प्रदेश ।